

### आई0एस0आई0 मान्यता प्राप्त पम्पसेट/डीजल इंजन के निर्माताओं की सूची-24

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं निर्माता फर्म का उनके द्वारा निर्मित किये गये पम्पसेट/डीजल इंजन की मान्यता उनके नाम के समुख अंकित विवरण के अनुसार प्रदान कर दी गई है तथा निर्माता फर्म द्वारा दिये गये ब्राण्ड नाम इंजन सभी हार्स पावर/आर0पी0एम0 के लिए अनुमोदित है।

क्र0 सं0	अनुज्ञाप्ति सं0	निर्माता फर्म का नाम व पता	ब्राण्ड का नाम	अश्व शक्ति	चक्कर प्रतिमिनट	मान्यता अवधि
1	सी.एम./एल नं-0-9236781	मे0 बी0आर0इण्टरप्राइजेज ई-39-40, फाउण्ट्रीनगर , आगरा-282006	सनराइज पावर फील्ड सुप्रीम पावर बी0आर0भारत बी0आर-4	5.00 6.5 8.0 10.0 12.0 8.0 10.0 5.0	15 00 1500 1600 1500 1600 850 1000 1500	दि- 31.03.17 से 31.01.18 तक

ह0-

( अजय पाल सिंह )  
महाप्रबन्धक(तक0)

### उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

परिपत्र सं0-सी-01 /तक0प्रकोष्ठ/निर्माता-नवी0/2017-18 दिनांक-01.04.2017

प्रतिलिपि:-

- समस्त प्रबन्धक श्रेणी-1,2 एवं 3, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-122/तक0प्रकोष्ठ/निर्माता नवी0/16-17 दिनांक-21.03.2017 के क्रम में चौबीसवीं सूची इस निर्देश के साथ कि संबंधित उत्पादक फर्म द्वारा डीलर/सबडीलर/कमीशन एजेण्ट द्वारा योजनानुसार अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा करने एवं निर्धारित प्रारूप पर गारण्टी पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही मान्यता दें। उपरोक्त फर्म द्वारा जमानत की निर्धारित धनराशि प्रधान कार्यालय में जमा की जा चुकी है।
- (अ) परि0सं0-232/ऋण/89-90 दिनांक-17.1.90(इकाई लागत सम्बन्धी),परि0सं0-209/यंत्र/एसआई0/89-90 दि0 7.12.89 तथा पम्प की अनिवार्यता सम्बन्धी परि0सं0-63/तक0प्रकोष्ठ/12-13 दिनांक-26.09.12, परि0सं0-112 /यंत्र/17एच/ 94-95 दिनांक-06.5.94, परिपत्र सं0 सी-73/ऋण/ इकाई लागत/2004-05 दिनांक-24.07.2004 तथा परिपत्र सं0 सी-45/तक0प्रकोष्ठ/12-13 दिनांक-20.08.10 के निर्देशानुसार आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- (ब) अनुमोदन सूची में अंकित फर्म किन्हीं कतिपय अनियमितताओं के कारण प्रतिबन्धित हो तो प्रतिबन्ध समाप्त होने के बाद ही कार्यवाही करें।
- (स) बाड़ी पर इंजन का नाम खुदा हो तथा नम्बर व अश्व शक्ति ढला/खुदा हो।
- (द) उपरोक्त स्तम्भ-4 में अंकित इंजनों के नाम निर्माताफर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर दिये गये हैं
2. सम्बन्धित निर्माता फर्म को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, बी-2 चतुर्थ तल पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ 226010
5. समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2 को इस निर्देश के साथ कि वे इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2 को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ह0-

महाप्रबन्धक(तक0)